# CHAPTER - XI REFUNDS

#### Section 54: Refund of tax

- (1) Any person claiming refund of any tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him, may make an application before the expiry of two years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed:
  - **Provided** that a registered person, claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49, may claim such refund in <sup>1</sup>[such form and] manner as may be prescribed.
- (2) A specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1974), Consulate or Embassy of foreign countries or any other person or class of persons, as notified under section 55, entitled to a refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of <sup>2</sup>[two years] from the last day of the quarter in which such supply was received.
- (3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period:

**Provided** that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases other than—

- (i) zero rated supplies made without payment of tax;
- (ii) where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies (other than nil rated or fully exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

**Provided further** that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty:

**Provided also** that no refund of input tax credit shall be allowed, if the supplier of goods or services or both avails of drawback in respect of central tax or claims refund of the integrated tax paid on such supplies.

(4) The application shall be accompanied by –

Substituted for "the return furnished under section 39 in such" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

<sup>2</sup> Substituted for "six months" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

- (a) such documentary evidence as may be prescribed to establish that a refund is due to the applicant; and
- (b) such documentary or other evidence (including the documents referred to in section 33) as the applicant may furnish to establish that the amount of tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid in relation to which such refund is claimed was collected from, or paid by, him and the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person:

**Provided** that where the amount claimed as refund is less than two lakh rupees, it shall not be necessary for the applicant to furnish any documentary and other evidences but he may file a declaration, based on the documentary or other evidences available with him, certifying that the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person.

- (5) If, on receipt of any such application, the proper officer is satisfied that the whole or part of the amount claimed as refund is refundable, he may make an order accordingly and the amount so determined shall be credited to the Fund referred to in section 57.
- (6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by registered persons, other than such category of registered persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety per cent. of the total amount so claimed, <sup>3</sup>[\*\*\*\*], in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed and thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant.
- (7) The proper officer shall issue the order under sub-section (5) within sixty days from the date of receipt of application complete in all respects.
- (8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the refundable amount shall, instead of being credited to the Fund, be paid to the applicant, if such amount is relatable to
  - (a) refund of tax paid on <sup>4</sup>[export] of goods or services or both or on inputs or input services used in making such <sup>5</sup>[exports]
  - **(b)** refund of unutilised input tax credit under sub-section (3);

<sup>3</sup> The words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted" omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

<sup>4</sup> Substituted for "zero-rated supplies" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

<sup>5</sup> Substituted for "zero-rated supplies" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

- (c) refund of tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued, or where a refund voucher has been issued;
- (d) refund of tax in pursuance of section 77;
- **(e)** the tax and interest, if any, or any other amount paid by the applicant, if he had not passed on the incidence of such tax and interest to any other person; or
- **(f)** the tax or interest borne by such other class of applicants as the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify.
- <sup>6</sup>[(8A) The Government may disburse the refund of the State tax in such manner as may be prescribed.]
- (9) Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree, order or direction of the Appellate Tribunal or any court or in any other provisions of this Act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, no refund shall be made except in accordance with the provisions of sub-section (8).
- (10) Where any refund is due <sup>7</sup>[\*\*\*\*] to a registered person who has defaulted in furnishing any return or who is required to pay any tax, interest or penalty, which has not been stayed by any court, Tribunal or Appellate Authority by the specified date, the proper officer may
  - (a) withhold payment of refund due until the said person has furnished the return or paid the tax, interest or penalty, as the case may be;
  - **(b)** deduct from the refund due, any tax, interest, penalty, fee or any other amount which the taxable person is liable to pay but which remains unpaid under this Act or under the existing law.

**Explanation**—For the purposes of this sub-section, the expression "specified date" shall mean the last date for filing an appeal under this Act.

- (11) Where an order giving rise to a refund is the subject matter of an appeal or further proceedings or where any other proceedings under this Act is pending and the Commissioner is of the opinion that grant of such refund is likely to adversely affect the revenue in the said appeal or other proceedings on account of malfeasance or fraud committed, he may, after giving the taxable person an opportunity of being heard, withhold the refund till such time as he may determine.
- (12) Where a refund is withheld under sub-section (11), the taxable person shall, notwithstanding anything contained in section 56, be entitled to interest at such rate not exceeding six per cent. as may be notified on the

<sup>6</sup> Sub-section (8A) inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-09-2019 by Noti. No. 39/2019, dt. 31-08-2019.

The words "under sub-section (3)" omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

- recommendations of the Council, if as a result of the appeal or further proceedings he becomes entitled to refund.
- (13) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the amount of advance tax deposited by a casual taxable person or a non-resident taxable person under sub-section (2) of section 27, shall not be refunded unless such person has, in respect of the entire period for which the certificate of registration granted to him had remained in force, furnished all the returns required under section 39.
- (14) Notwithstanding anything contained in this section, no refund under subsection (5) or sub-section (6) shall be paid to an applicant, if the amount is less than one thousand rupees.

## **Explanation** – For the purposes of this section, –

- (1) "refund" includes refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services or both or on inputs or input services used in making such zerorated supplies, or refund of tax on the supply of goods regarded as deemed exports, or refund of unutilised input tax credit as provided under sub-section (3).
- (2) "relevant date" means
  - (a) in the case of goods exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of goods themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in such goods,—
    - (i) if the goods are exported by sea or air, the date on which the ship or the aircraft in which such goods are loaded, leaves India; or
    - (ii) if the goods are exported by land, the date on which such goods pass the frontier; or
    - (iii) if the goods are exported by post, the date of despatch of goods by the Post Office concerned to a place outside India;
  - **(b)** in the case of supply of goods regarded as deemed exports where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which the return relating to such deemed exports is furnished;
  - <sup>8</sup>[(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;]
  - (c) in the case of services exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of services themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in such services, the date of —

<sup>8</sup> Sub-section (ba) inserted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

- (i) receipt of payment in convertible foreign exchange <sup>9</sup>[or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India], where the supply of services had been completed prior to the receipt of such payment; or
- (ii) issue of invoice, where payment for the services had been received in advance prior to the date of issue of the invoice;
- (d) in case where the tax becomes refundable as a consequence of judgment, decree, order or direction of the Appellate Authority, Appellate Tribunal or any court, the date of communication of such judgment, decree, order or direction;
- <sup>10</sup>[(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3), the due date for furnishing of return under section 39 for the period in which such claim for refund arises;]
- **(f)** in the case where tax is paid provisionally under this Act or the rules made thereunder, the date of adjustment of tax after the final assessment thereof:
- **(g)** in the case of a person, other than the supplier, the date of receipt of goods or services or both by such person; and
- (h) in any other case, the date of payment of tax.

<sup>9</sup> Inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

Sub-clause (e) substituted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019. Earlier to substitution it read as under:

<sup>&</sup>quot;(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under sub-section (3), the end of the financial year in which such claim for refund arises;"

# अध्याय 11 प्रतिदाय

## धारा 54 : कर का प्रतिदाय

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है, सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान के पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा:

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में किसी अतिशेष के प्रतिदाय का दावा करता है, <sup>1</sup>[ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति] में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।

- (2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, और जो उसके द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों के लिए संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए हकदार है, ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से <sup>2</sup>[दो वर्ष] के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा।
- (3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा:

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा—

- कर का संदाय किए बिना की गई शून्य रेटेड पूर्तियां;
- (ii) जहां इनपुटों पर कर की दर के, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों के सिवाय आउटपुट पूर्तियों (शून्य रेटेड या पूर्णतः छूट—प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर से अधिक होने के कारण प्रत्यय संचित हुआ है:

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल को निर्यात शुल्क के अध्यधीन किया जाता है:

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

- (4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-
  - (क) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य जो यह स्थापित करने के लिए विहित किए जाएं कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य हैं; और

<sup>1</sup> वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

<sup>2</sup> वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज भी है) जैसा कि आवेदक यह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ऐसे कर पर ब्याज, यदि कोई है, का संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे संगृहीत किया गया था या उसके द्वारा संदाय किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया है:

परन्तु जहां प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम दो लाख रुपए से कम है, वहां आवेदक के लिए कोई दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेजी या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज के चुकाए जाने को किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया है।

- (5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई सम्पूर्ण रकम या उसका कोई भाग प्रतिदेय है तो वह तद्नुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम को धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में जमा करेगा।
- (6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग से भिन्न रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की शून्य रेटेड पूर्ति के मद्दे प्रतिदाय के किसी दावे के मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, 3[......] के नब्बे प्रतिशत् का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा।
- (7) समुचित अधिकारी सभी परिप्रेक्ष्यों में सम्पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उपधारा (5) के अधीन आदेश जारी करेगा।
- (8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिदेय रकम को निधि में जमा किए जाने के स्थान पर आवेदक को उसका संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—
  - (क) <sup>4</sup>[शून्य अंकित] माल या सेवा या दोनों की <sup>5</sup>[निर्यात] या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी <sup>6</sup>[निर्यातों] के लिए किया गया है, पर संदत्त कर के प्रतिदायः
  - (ख) उपधारा (3) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय:
  - (ग) पूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई

<sup>3</sup> वित्त अधिनियम 2023 द्वारा शब्द "जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

राजपत्र के अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए, यहां ये शब्द "शून्य अंकित" शब्द उचित प्रतीत नहीं होते है।

<sup>5</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा 'शून्य रेटेड पूर्तियों' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>6</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा 'शून्य रेटेड पूर्तियों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

### केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

भाग—ा

प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है;

- (घ) धारा 77 के अनुसरण में कर के प्रतिदाय;
- (ड.) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया हो; या
- (च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा वहन किया गया कर या ब्याज।
- <sup>7</sup>[(8क) सरकार राज्य सरकार के प्रतिदाय का वितरण ऐसी रीति में कर सकेगी, जो विहित की जाए।]
- (9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण में के सिवाय कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।
- (10) जहां किसी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे किसी ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, को <sup>8</sup>[.....] कोई प्रतिदाय शोध्य है, वहां समुचित अधिकारी—
  - (क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या, यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;
  - (ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी ऐसे कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किन्तु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत्त रहती है, कटौती कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है।

- (11) जहां किसी प्रतिदाय को उत्पन्न करने वाला आदेश किसी अपील या आगे और कार्यवाहियों की विषय—वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त की यह राय है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा।
- (12) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली छह प्रतिशत् से अनधिक दर पर ब्याज का हकदार होगा, यदि अपील या आगे और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है।
- (13) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस संपूर्ण अविध के लिए, जिसके लिए उसे अनुदत्त रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त बना रहा था, धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी है।

<sup>7</sup> वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (8क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 31.08.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.09.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>8</sup> वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "उपधारा (3) के अधीन" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

(14) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रूपए से कम है।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (1) "प्रतिदाय" में माल या सेवाओं या दोनों की शून्य रेटेड पूर्ति या ऐसी शून्य रेटेड पूर्तियों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में माल की पूर्ति पर कर का प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सिम्मिलत है।
- (2) ''स्संगत तारीख'' से निम्नलिखित तारीख अभिप्रेत है—
  - (क) भारत से निर्यात किए गए माल की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे माल के लिए स्वयं या ऐसे माल में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है—
    - (i) यदि माल का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे माल की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या
    - (ii) यदि माल का आयात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते है; या
    - (iii) यदि माल का आयात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख:
  - (ख) माने गये निर्यातों के संबंध में माल की पूर्ति की दशा में जहां माल के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की जाती है;
  - <sup>9</sup>[(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत् संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत् धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;]
    - (ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—
      - (i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा <sup>10</sup>[या भारतीय रूपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए,] में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की पूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया था; या
      - (ii) बीजक जारी करने, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था;
    - (घ) उस दशा में जहां किसी अपील प्राधिकरण, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो

<sup>9</sup> वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा उपखंड (खक) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

<sup>10</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

### केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की संसूचना की तारीख;

- 11[(ड.) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अविध के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;]
  - (च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है वहां कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख;
  - (छ) पूर्तिकार से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख; और
  - (ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख।

भाग—ा

<sup>11</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा उप—खंड (ड.) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

<sup>&</sup>quot;(ड.) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में, उस वित्तीय वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है;"